प्रशासन तथा सूचना प्रौद्योगिकी

परिषद् समाधान–आधारित वानिकी अनुसंधान द्वारा लोगों को सुधारित सेवाएं और अवसर उपलब्ध कराने में सम्बद्ध है। परिषद् का सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग परिषद् की प्रशासनिक, अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार गतिविधियों के आयोजन एवं विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

8

8.1 सूचना प्रौद्योगिकी

प्रस्तावना

भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय का सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, अनुसंधान में सहायता देने, प्रशासन तथा अन्य अनुसंधान संबंधित क्रिया–कलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भा.वा.अ.शि.प. द्वारा सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है और उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए उन्हें 24x7 की सेवायें मुहैया कराई जा रही हैं। इस प्रभाग द्वारा भा.वा.अ.शि.प. के सभी संस्थानों/केंद्रों की सूचना संचार प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। नियमित सेवायें मुहैया कराने के अलावा समय–समय पर नई शुरूआतें भी की जा रही हैं।

भा.वा.अ.शि.प. डाटा केंद्र :

भा.वा.अ.शि.प. के सर्वर फार्म की स्थापना 2009–10 में की गई जो तभी से क्रियाशील है। यह भा.वा.अ.शि.प. के सभी कर्मचारियों और संस्थाओं को 24x7x365 सेवायें मुहैया कराता है। होस्टिंग इन्टरप्राईज के साथ–साथ विभिन्न प्रशासनिक और अनुसंधान आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है जिन्हें भारतीय वानिकी अनुसंधान सूचना पद्धति कहते हैं। इसके अन्तर्गत कई अन्य सेवायें भी दी जाती हैं जैसे संदेश सेवा, वेब सेवा, डाटाबेस सेवा, प्रॉक्सी सेवा, डी.एन.एस. सेवा, डी.एच. सी.पी. सेवा, एफ.टी.पी. सेवा, बैकअप सेवा, इन्टरनेट सेवा, एन.के.एन–वी.पी.एन. सेवा, वीडियो–कान्फ्रैंसिंग, एन्टीवायरस सेवा, हेल्पडेस्क सेवा, कम्प्यूटर एसोसिएट इन्टरप्राईज प्रबंधन पद्धति और इन्टरनेट सुरक्षा पद्धति आदि। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून सहित भा.वा.अ.शि.प. और इसके संस्थानों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए करीब 28 वेबसाईट्स को भा.वा.अ.शि.प. के वेब सर्वर में उपलब्ध कराया गया है। भा.वा.अ.शि.प. के डाटा केंद्र की बिल्डिंग प्रबंधन पद्धति को क्रियान्वित किया गया है और प्रभावी प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा विभिन्न गैर आई.टी. उपकरणों का एकीकरण एवं समनुरूपण किया गया है, जैसे आग सतर्कता पद्धति, धुयें का अतिशीघ्र पता लगाने की पद्धति, कृन्तक नियंत्रण, पानी के रिसाव का पता लगाने वाला उपकरण, पहुंच पद्धति, निगरानी पद्धति, पब्लिक एड्रैस पद्धति और शीतलन पद्धति। भा.वा.अ.शि.

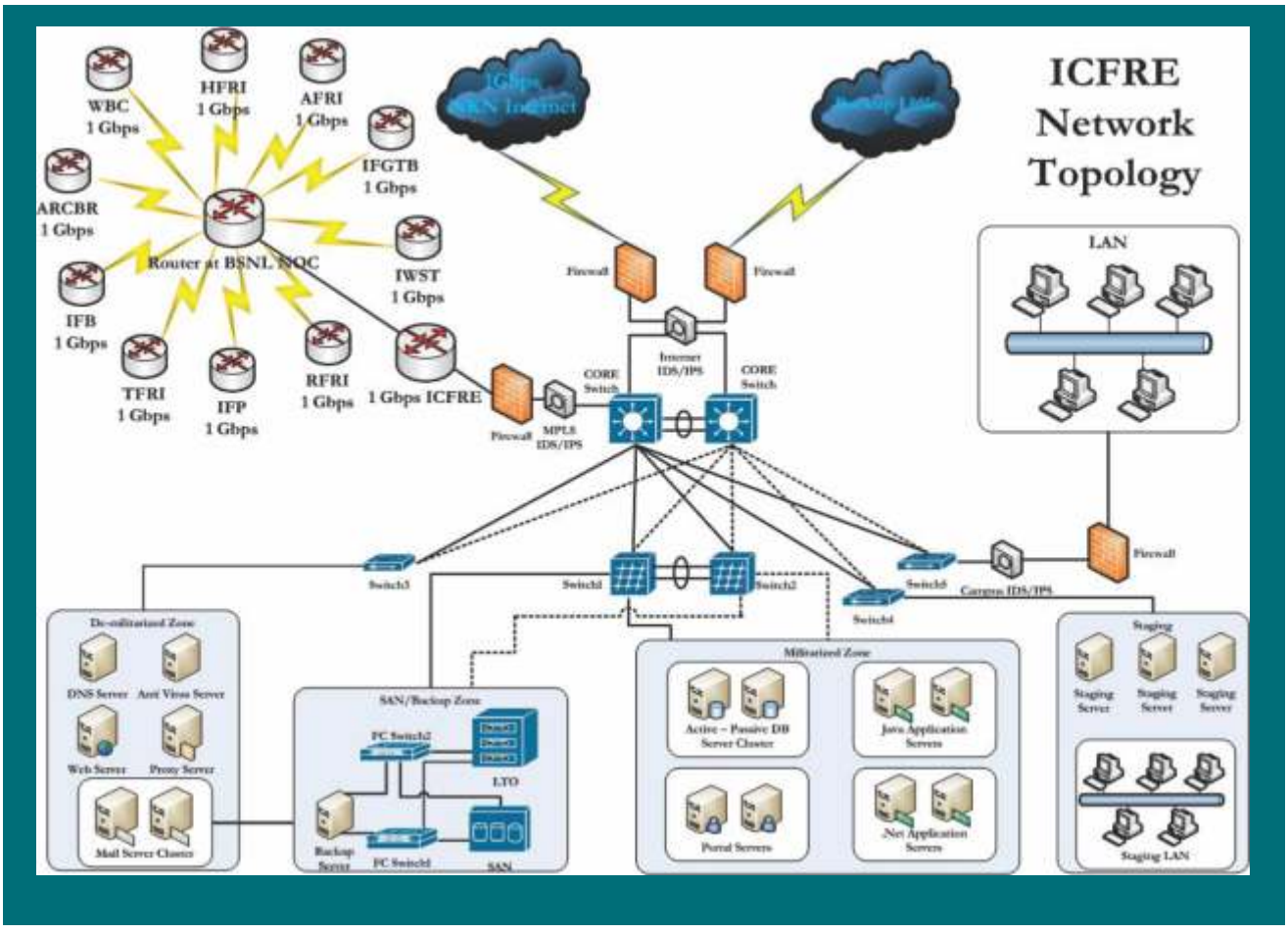

e-Mail Transaction data for ICFRE for the year 2015-16 is as below:

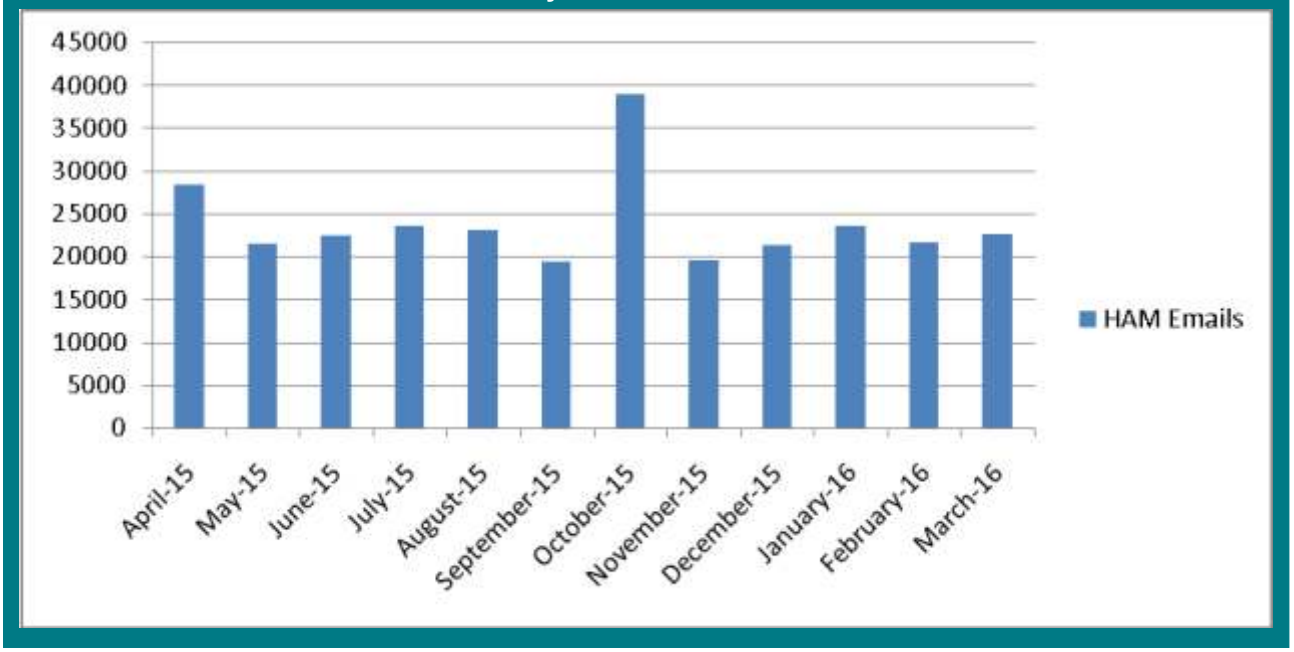

NKN-VPN availability in year 2015-16 is as below:

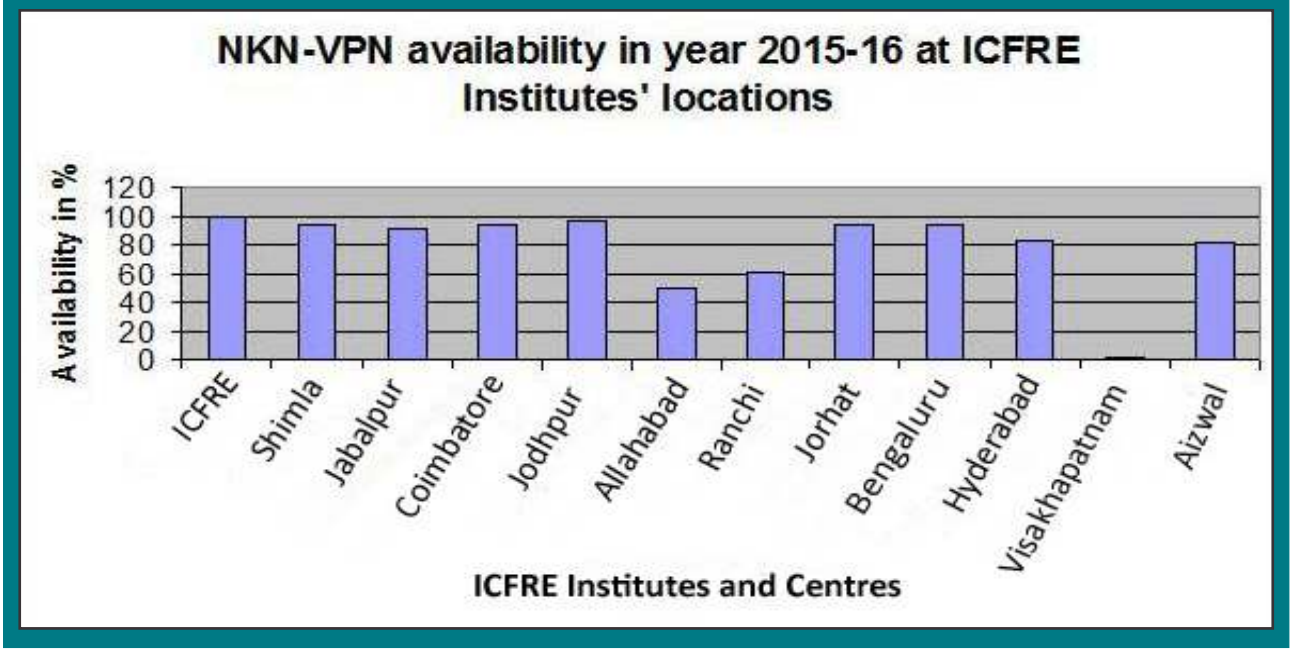

प. के सर्वर की उपलब्धता 2015–16 में शत प्रतिशत रही।

वेबसाइट एवं सी.एम.एस.

- भा.वा.अ.शि.प. के संस्थानों की सामान्य विषय वस्तु प्रबंधन पद्धति (सी.एम.एस.) का अभिकल्प तथा विकास : सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प. द्वारा भा.वा.अ.शि.प. की हिन्दी वेबसाइट के लिए सामान्य विषय वस्तु प्रबंधन पद्धति अभिकल्पित एवं विकसित की गई http://hindi.icfre.org/admin/login.php)।
- भा.वा.अ.शि.प. की अंग्रेजी के समान हिन्दी वेबसाइट (http://hindi.icfre.org) : सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प. द्वारा भा.वा.अ.शि.प. की अंग्रेजी के समान हिन्दी वेबसाइट अभिकल्पित एवं विकसित की गई तथा इसे दिसम्बर 2015 में चालू कर दिया गया। भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों द्वारा वेबसाइट का अभिकल्पन एवं

भा.वा.अ.शि.पं. नई हिन्दी वेबसाइट का स्क्रीन शॉट

विकास : भा.वा.अ.शि.प. तथा इसके संस्थानों की वेबसाइट का अद्यतनीकरण तथा अनुरक्षण संबंधित संस्थानों द्वारा किया जा रहा है।

वेबसाइट अपडेट्स

भा.वा.अ.शि.प. वेबसाइट का 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक नियमित रूप से अद्यतनीकरण किया जा रहा है जो कि नीचे दर्शाया गया है :

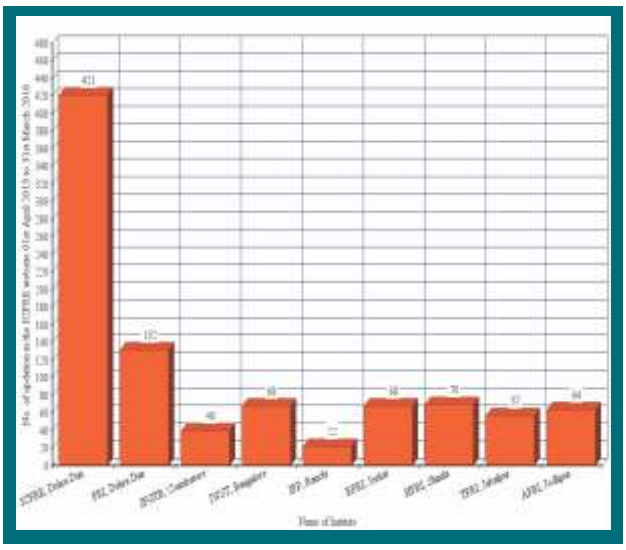

डाटाबेस

जी.पी.एफ. डाटाबेस तथा अनुप्रयोग : भा.वा.अ.शि.प. के आई.टी. प्रभाग ने लाईव सर्वर पर जी.पी.एफ. डाटा बेस तथा उसके अनुप्रयोग को अभिकल्पित, विकसित तथा क्रियान्वित किया है। इसके अनुप्रयोग से पेंशन प्रकोष्ठ द्वारा कर्मचारियों के जी.पी.एफ डाटा को अपलोड किया जा रहा है। कर्मचारी अपने जी.पी.एफ विवरण को वैयक्तिक सूचना प्रबंधन पद्धति एकाउन्ट में देख सकते हैं। पेंशन प्रकोष्ठ के पास प्रत्येक कर्मचारी की समेकित रिपोर्ट है।

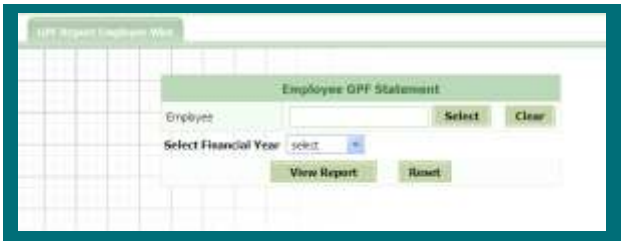

8.2 प्रशासन

भा.वा.अ.शि.प. के प्रशासन निदेशालय द्वारा बजट आकलन तैयार किया जाता है। साथ ही बजट आवंटन और वार्षिक अनिवार्य वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। भा.वा.अ.शि.प. की अनिवार्य वित्तीय तथा प्रशासनिक विवरणियां फाइल की जाती हैं, भण्डारण के साथ सम्पदा प्रबंधन तथा प्रापण किया जाता है। निदेशालय द्वारा भुगतानों तथा टी.डी.एस. के साथ सहायक सेवाओं और कार्यालयीन अवसंरचना को अनुरक्षित किया जाता है। सामान्य प्रशासन देखने के साथ–साथ निदेशालय द्वारा परिषद् तथा इसके संस्थानों के सिविल तथा तकनीकी कार्यों पर भी नजर रखी जाती है।

यह निदेशालय, सुधारित सेवाओं तथा लोगों को सुअवसर प्रदान करने के वृहत उद्देश्यों के साथ–साथ समाधान आधारित वानिकी अनुसंधान को भी देखता है। 'सेवोत्तम' एक आकलन सुधार संरचना है जिसका उद्देश्य नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार है। 'सेवोत्तम' संरचना का उपयोग भा.वा.अ.शि.प. (मुख्यालय) तथा संस्थानों में निरंतर सेवा सुधार के लिए किया जाता है। 'सेवोत्तम' संरचना के तीन घटक हैं अर्थात् : नागरिक चार्टर, लोकशिकायत दर्ज करना, निवारक उपाय तैयार करना तथा सक्षम सेवायें मुहैया कराना।

सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और सरकारी विभागों में मानीटरिंग तथा मूल्यांकन पद्धति के निष्पादन के लिए भा.वा.अ.शि.प. ने परिषद् के लिए नागरिक चार्टर का निर्माण किया है। यह प्रलेख, संगठन के क्रमबद्ध प्रयासों को नागरिकों/ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी बनाता है, जिसमें सेवा की गुणवत्ता, सूचना, रूचि तथा परामर्श, भेदभाव निवारण तथा पहुंच, शिकायतों का निवारण उचित व्यवहार तथा धन का मूल्य शामिल है। इसमें संगठन के उत्तरदायित्व को पूरा करने में नागरिकों/ग्राहकों से कुछ अपेक्षायें भी शामिल है।

8.2.1 विभागों तथा उसके अधीनस्थ संगठनों के लिए चार्टर को सूत्रबद्ध करने में कृत कार्रवाई

नागरिक चार्टर का मसौदा भा.वा.अ.शि.प. के सभी संस्थानों और केंद्रों द्वारा तैयार और क्रियान्वित किया गया है। जिसमें चार्टर सेवाओं की वार्षिक समीक्षा का प्रावधान शामिल है, यह भा.वा.अ.शि.प. के वेबसाईट (www.icfre.gov.in) पर उपलब्ध है। जनता और ग्राहकों को सूचना देने के लिए परिषद् मुख्यतः वेब साईट टूल्स और विभिन्न उपायों से सूचना प्रसार पर निर्भर है जैसे आई.टी. इन्टरफेस, सिटीजन चार्टर, नागरिकों के प्रतिउत्तर जो सूचना के अधिकार अधिनियम तथा कार्यशालाओं और सेमीनारों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है।

भा.वा.अ.शि.प. के अधीनस्थ घटकों में इसके देश भर में फैले संस्थान एवं केंद्र, शामिल हैं। इन संस्थानों की वेबसाईट भा.वा.अ.शि.प. की मुख्य वेबसाईट से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें एक ही सर्वर में होस्ट किया जाता है। संस्थानों का कार्य भा.वा.अ.शि.प. से संबद्ध है इसलिये भा.वा.अ.शि.प. के सिटीजन चार्टर में सभी संबंद्ध सूचनायें मुहैया कराई जाती है जो संस्थानों/केंद्रों में प्रायोज्य होती हैं, इनमें विभिन्न संस्थानों/केंद्रों से संबद्ध सूचनायें समाहित की जाती है।

8.2.2 चार्टर को क्रियान्वित करने के लिए की गई कार्रवाई

जैसे कि पूर्व में कहा गया है कि सिटीजन चार्टर भा.वा.अ.शि.प. की वेबसाईट में है। यह भा.वा.अ.शि.प. पर विहंगम दृष्टि प्रस्तुत करता है जिनमें परिषद् का विजन, ध्येय, उद्देश्य, क्रिया–कलाप, सेवायें तथा सेवाओं के मानक की जानकारियां समाहित होती हैं। चार्टर में शिकायत निवारण मकेनिज्म के बारे में बताया जाता है और उन व्यक्तियों की सम्पर्क सूचना दी जाती है जिन्होंने पंजीकरण करवाया हो और भा.वा.अ.शि.प. के किसी भी संस्थान के बारे में शिकायत की हो। चार्टर को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भा.वा.अ.शि.प. के संस्थान और केंद्र, उपभोक्ताओं/हितधारकों की आवश्यकता के अनुरूप अपने अनुसंधानों को ढालने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता स्टाफ के कौशल और ज्ञान का उच्चीकरण किया जाता है और संस्थानों/केंद्रों की संरचना को सुविधानुसार उच्चीकृत किया जाता है और आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सुविधाओं का अनुरक्षण किया जाता है।

उपलब्ध कराई गई सेवाओं की प्रभाग प्रमुख/समूह समन्वयक (अनुसंधान)/ निदेशक तथा भा.वा.अ.शि.प. के कर्मिकों द्वारा मानकों के अनुसार

मॉनीटरिंग की जाती है। उपकरणों को विहित प्रक्रिया के तहत मानकीकृत किया जाता है। हितधारकों द्वारा दिये गये निष्पक्ष फीडबैक को उचित महत्व दिया जाता है जिसके आधार पर परिषद् के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं।

8.2.3 चार्टर के उचित क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि का विवरण

जागरूकता पैदा करने और विस्तार किया कलापों के अंग के रूप में भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों और केंद्रों द्वारा नियमित अन्तराल पर प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित की जाती हैं। आर.ए.जी. समिति की बैठकों के साथ–साथ हितधारकों की बैठक, उपभोक्ताओं के साथ विचार–विमर्श हेतु और मेलों और विविध प्रशिक्षणों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है। प्रशिक्षण घटक के बारे में अध्याय 6 में विस्तार से बताया गया है और कार्यशालाओं के बारे में अध्याय–7 में बताया गया है। संस्थानों/केंद्रों के स्तर पर सिटीजन चार्टर के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है।

8.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जातियों/अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कल्याणकारी उपाय

भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ बी सी कर्मचारियों के लिए सचिव, भा.वा.अ.शि.प. के आदेश सं 63–37/2010–भा.वा.अ.शि.प. दि. 23 फरवरी 2011 के तहत शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। उपमहानिदेशक (शिक्षा) को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ बी सी कर्मचारियों के लिए मुख्य सम्पर्क अधिकारी का दायित्व को दिया गया है। इसी प्रकार परिषद् के सभी संस्थानों में उनके अपने शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है। शु.व.अ.सं., जोधपुर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा ओ.बी.सी. कर्मचारियों के सामान्य हित तथा उनके सामूहिक कल्याण विकास और उन्नयन के लिए शु.व.अ.सं. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ओ.बी.सी. कर्मचारी कल्याण संघ मौजूद है। पदोन्नति, भर्ती प्रक्रिया के लिए रोस्टर को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुरक्षित किया गया है।

का.वि.प्रौ.सं., बंगलुरू में कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए शिकायत एवं निवारण प्रकोष्ठ है। इस प्रकोष्ठ द्वारा संस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ओ.बी.सी. कर्मचारियों के कल्याण हेतु कई उपाय किये जा रहे हैं। इस सिलसिले में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों द्वारा एक संघ स्थापित किया गया है जो कर्मचारियों के समग्र विकास और कल्याण का ध्यान रखता है।

व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर में भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 125वां जन्मदिवस मनाया गया। डॉ. वी.वी. सुब्रहमण्यम, ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी, अभिरामी, अस्पताल, कोयम्बटूर ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन और उद्देश्यों पर वार्ता प्रस्तुत की।

व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर में भारत रत्न डॉ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 125वीं जयंती समारोह।